

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993

(1993 का अधिनियम संख्या क्र. 73)

[29 दिसंबर, 1993]

सारे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का योजनाबद्ध और समविचित विकास करने तथा अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानकों और स्तरभानों का विनियक्त और उच्च समविचित स्तर में बढ़ाए रखने को विट्ठि से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को हथापना करने का

भारत गणराज्य के चलालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्ययन 1

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 है।
 (2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।
 (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

संक्षिप्त नाम;
विस्तार और
प्रारम्भ।

परिभाषाएं।

- (क) "नियत दिन" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना की तारीख अभिप्रेत है;
- (ख) "अध्यक्ष" से धारा 3 की उपधारा (4) के छंड (क) के अधीन नियुक्त परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ग) "परिषद्" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;
- (घ) "परीक्षा निकाय" से ऐसा कोई विश्वविद्यालय, अभिकारण या प्राधिकारी अभिप्रेत है जिससे अध्यापक शिक्षा अर्हताओं में परीक्षाओं के संचालन के लिए कोई संस्था तहवड़ है;
- (इ) "संस्था" से ऐसी कोई संस्था अभिप्रेत जो अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रस्तापित करती है;

(च) "सदस्य" से परिषद् का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं;

(छ) "सदस्य सचिव" से धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त परिषद् का सदस्य-सचिव अभिप्रेत है;

(ज) "विहित" से धारा 31 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं;

(झ) "मान्यताप्राप्त संस्था" से धारा 14 के अधीन परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है;

(ञ) "प्रावेशिक समिति" से धारा 20 के अधीन है स्थापित समिति अभिप्रेत है;

(ट) "विनियम" से धारा 32 के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(ठ) "अध्यापक शिक्षा अहता" से विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक, प्रायमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक प्रक्रमों पर अध्यापन करने के लिए व्यवसितयों का तायार करने के लिए शिक्षा समिति अधिकारिक शिक्षा, अशकालिक शिक्षा, प्रोफेशनल शिक्षा तथा पांचालीक शिक्षा है;

(ड) "अध्यापक शिक्षा अहता" से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय या परीक्षा निकाम द्वारा प्रदत्त अध्यापक शिक्षा में उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र अभिप्रेत हैं;

(ढ) "विश्वविद्यालय" से विश्वविद्यालय अनवान अधियोगी अधिनियम 1956 की धारा 2 के खंड (च) के अधीन परिभाषित, कोई विश्वविद्यालय 1956 की अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी संस्था है जो उस अधिनियम की धारा 3 के अधीन समझा गया विश्वविद्यालय है।

(ण) "उपाध्यक्ष" से धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त परिषद् का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

परिषद् की स्थापना

परिषद् की स्थापना।

3. (1) ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में घोषित होगी जिसका शास्त्रतनियत करे, सर्वीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के नाम से ज्ञात एक परिषद् की स्थापना की जाएगी।

(2) परिषद् पूर्वोक्त नाम की एक नियमित निकाय होगी जिसका केन्द्रीय उत्तराधिकारी और समान्य मुद्रा होगी और उसे संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जाएगा।

(3) परिषद् का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा और परिषद् केन्द्रीय सरकार के पर्वनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर प्रावेशिक कार्यालय स्थापित करे सकेंगे।

(4) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर देनी, दृष्टि—

(क) अध्यक्ष, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा,

(ख) उपाध्यक्ष, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(ग) सदस्य-सचिव, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(घ) भारत सरकार के शिक्षा से संबंधित विभाग का सचिव, पदेन ;

1956 का 3

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष, या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य, पदेन ;

(च) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, पदेन ;

(छ) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन संस्थान, पदेन ;

(ज) सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग, पदेन ;

(झ) अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पदेन ;

(ञ) भारत सरकार के शिक्षा से संबंधित विभाग का वित्त सलाहकार, पदेन ;

(ट) सदस्य-सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् पदेन ;

(ठ) सभी प्रादेशिक समितियों के अध्यक्ष, पदेन ;

(ड) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे तेरह व्यक्ति, जिनके पास शिक्षा या अध्यापन के क्षेत्र में अनुभव और ज्ञान है, निम्नलिखित में से नियुक्त किए जाएंगे :—

(i) विश्वविद्यालयों में शिक्षा संकायों के अध्यक्ष और शिक्षा के आचार्य चार ;

(ii) माध्यमिक अध्यापक शिक्षा में विशेषज्ञ एक ;

(iii) पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक अध्यापक शिक्षा में विशेषज्ञ तीन ;

(iv) अनोपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा में विशेषज्ञ दो ;

(v) विहित रीति में चक्रानुक्रम से प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, कार्य अनुभव, शैक्षणिक, प्रौद्योगिकी और विशेष शिक्षा के क्षेत्रों में विशेषज्ञ तीन ;

(८) तीन सदस्य, जो राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से नियुक्त किए जाएंगे;

(९) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से एक सदस्य राज्य सभा के सभापति द्वारा और दो सदस्य लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(१०) तीन सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों में से नियुक्त किए जाएंगे।

(११) यह घोषित किया जाता है कि परिषद के सदस्य का पद उसके धारक को संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने या होने के लिए निरहित नहीं करेगा।

(१२) (१) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव पूर्णकालिक आधार पर पद धारण करेंगे।

(२) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव की पदावधि चार-चार वर्ष या साठ वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें से जो भी प्रश्नात्वर्ती हो, होगी और ऐसे सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

(३) धारा ३ की उपधारा (४) के खंड (क) से (ठ) तक तथा खंड (द) और खंड (ए) में विनिर्दिष्ट सदस्यों से गिन सदस्यों की पदावधि दो वर्ष या नई नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी प्रश्नात्वर्ती हो, होगी और ऐसे सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(४) धारा ३ की उपधारा (४) के खंड (क) से (ठ) तक तथा खंड (द) और खंड (ए) में विनिर्दिष्ट सदस्यों से गिन सदस्यों की पदावधि दो वर्ष या नई नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी प्रश्नात्वर्ती हो, होगी और ऐसे सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(५) यदि अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग अथवा बीमारी या अन्य असमर्थता की वजह से अपने कृत्यों का निवृहन करने में असमर्थता के कारण उसके पद में कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो तत्समय उस रूप में पद धारण करने वाला उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा और जब तक कि इसके पूर्व अध्यक्ष के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर दिया जाता है, वह अध्यक्ष का पद उस व्यक्ति की, जिसके स्थान पर ऐसे व्यक्ति की इस प्रकार कार्य करना है, पदावधि के शेष भाग के लिए धारण करेगा।

(६) यदि उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की मृत्यु, पदत्याग अथवा बीमारी या अन्य असमर्थता की वजह से अपने कृत्यों का निवृहन करने में असमर्थता के कारण उसके पद में कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, तो ऐसी रिक्ति नई नियुक्ति करके भरी जाएगी, और इस प्रकार नियुक्ति किया गया व्यक्ति उस व्यक्ति की, जिसके स्थान पर ऐसे व्यक्ति की इस प्रकार नियुक्ति हुई है, पदावधि के शेष भाग के लिए पद धारण करेगा।

(७) अध्यक्ष, परिषद के अधिवेशनों वाली अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, परिषद की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निवृहन करेगा जो परिषद द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निवृहन करेगा जो विहित किए जाएं।

(८) उपाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उसे सौने जाएं।

सदस्य के पद के लिए निर्हता । ५. कोई व्यक्ति सदस्य के रूप नियुक्त किए जाने के लिए निहित होगा, यदि वह—

(क) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, और राजावास से दंडादिष्ट किया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्गत है; या

(ब) अनुमोदित दिवालिया है; या

(ग) विष्णुतचित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है; या

(घ) सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन [किसी निगमित निकाय की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है; या

(ङ) केन्द्रीय सरकार की राय में परिपद में ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है जिसके बारण सदस्य के स्पृह में उसके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

6. केन्द्रीय सरकार किसी सदस्य को हटा देगी, यदि वह,—

(क) धारा 5 में वर्णित किसी निरहंता के अधीन हो जाता है;

सदस्य के पद में रिक्ति।

परन्तु कोई भी सदस्य इस शाधार पर नहीं हटाया जाएगा कि वह उस धारा के खंड (ङ) में वर्णित निरहंता के अधीन हो गया है, जब तक कि उसे इस विषय में सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो; या

(ख) कार्य करने से इकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है; या

(ग) परिपद से अनुपस्थित होने की इजाजत लिए बिना परिपद के तीन लगातार अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है; या

(घ) उसने केन्द्रीय सरकार की राय में अपने पद का इस प्रकार दुष्प्रयोग किया है कि उसका पद पर वह रहना लोकहित के लिए अहितकर है:

परन्तु इस खंड के अधीन कोई भी सदस्य तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे इस विषय में सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

7. (1) परिपद का अधिवेशन ऐसे समय और ऐसे स्थानों पर होगा परिपद के और वह उसके अधिवेशनों में कारबाह के संबंधहार (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूति भी है) के बारे में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुसालन करेगी जिन्हें विनियमों द्वारा उपर्युक्त किया जाए।

परन्तु परिपद का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार होगा।

(2) अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, परिपद के अधिवेशनों की अव्यक्तता करेगा।

(3) यदि किसी कारणवश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों परिपद के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ हैं, तो अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य उस अधिवेशन की अध्यक्ता करेगा।

(4) ऐसे सभी प्रश्नों का, जो परिपद के किसी अधिवेशन में उठते हैं, विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा तथा गतों के बाबाबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उस मत का प्रयोग करेगा।

रिक्तियों, आदि से परिषद् की कार्यवाही का वाले किसी व्यक्ति की होगी कि—

8. परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होना।

(क) परिषद् में कोई रिक्ति है, या उसके गठन में कोई लुटि है;

(ख) परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई लुटि है; या

(ग) परिषद् की प्रक्रिया से कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

9. (1) परिषद् एसी श्रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं, तीन से अनधिक ऐसे व्यक्तियों को जिनकी सहायता या सलाह की वह इस अधिनियम के उपबंधों से किसी को कार्यान्वित करने में वांछा करे, सहयोजित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी प्रयोजन के लिए परिषद् द्वारा सहयोजित व्यक्ति को, उस प्रयोजन से सुसंगत विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे परिषद् के किसी अधिवेशन में सत्र देने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा।

10. (1) परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्धन के लिए अपने को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, ऐसे विनियमों के जो इस नियमित बनाए जाएं अधीन रहते हुए उनमें अधिकारी और अन्य कर्मचारी (प्रतिनियुक्ति पर या अन्यथा) नियुक्त करगी जिनमें वह आवश्यक समझे :

प्रत्यक्ष केन्द्रीय सरकार में समूह "क" पदों के समतुल्य पदों का प्रबंग, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन होगा।

(2) परिषद् द्वारा नियुक्त प्राध्यापक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, सेवा की ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं।

11. परिषद् के सभी आदेश और विनिश्चय अव्यक्त के या परिषद् द्वारा इस नियमित प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जाएंगे और परिषद् द्वारा निकाली गई ऐसी सभी लिखते परिषद् के सदस्य-सचिव के या अव्यक्त द्वारा इस नियमित दस्ती ही रीति से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जाएंगी।

अध्याय 3

परिषद् के कृत्य

12. परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी उपाय करे जो वह अध्यापक शिक्षा के योजनावृद्ध और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने तथा अध्यापक शिक्षा के स्तरमानों के अवधारण और उनकी बनाए रखने के लिए ठीक समझे और इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजनों के लिए, परिषद् :—

(क) अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सर्वेक्षण और अध्ययन कर सकेगी तथा उसका परिणाम प्रकाशित कर सकेगी;

(ख) अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त योजनाओं और कार्यक्रमों की तैयारी के विषय में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, अनुदान आयोग और मान्यताप्राप्त संस्थाओं को सिफारिशें कर सकेगी;

(ग) देश में अध्यापक शिक्षा और उसके विकास का समन्वय और उसको मानिटर कर सकेगी;

(घ) विद्यालयों या मान्यताप्राप्त संस्थाओं में अध्यापक के रूप में नियोजित करने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम अर्हताओं के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित बन सकेगी;

(ङ) अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षणों के किसी विनियोजन के लिए मानक, जिसके अन्तर्गत उसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड और अस्थिरियों के चयन की पद्धति पाठ्यक्रम की अवधि पाठ्यक्रम की विद्यवस्तु और पाठ्यक्रम का है, अधिकथित कर सकेगी;

(च) मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुपालन के लिए, नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए, तथा शारीरिक और शिक्षण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने; स्टाफ पैटन, कर्मचारिवृन्द की अर्हताओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगी;

(छ) अध्यापक शिक्षा अर्हताओं में परीक्षाओं, ऐसी परीक्षाओं में प्रवेश के लिए मानदंड और पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण की स्तरों के संबंध में स्तरमान अधिकथित कर सकेगी;

(ज) मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रभार्य अध्यापन-फीस और अन्य फीसों के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगी;

(झ) अध्यापक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अभिनव परिवर्तन और अनुसंधान का संबंधन और संचालन कर सकेगी तथा उसके परिणामों का प्रसार कर सकेगी;

(ञ) परिषद् द्वारा अधिकथित मानकों, मार्गदर्शक सिद्धांतों और स्तरमानों के क्रियान्वयन की कालिकाता परीक्षा और पुनर्विलोकन कर सकेगी और मान्यता प्राप्त संस्थाओं को उपयुक्त रूप में सलाह दे सकेगी;

(ट) मान्यताप्राप्त संस्थाओं को जवाबदार बनाने के लिए उपयुक्त कार्य निष्पादन, मूल्यांकन पद्धति, मानक और क्रियाविधि विकसित कर सकेगी;

(ठ) अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए स्कीमें बना सकेगी और अध्यापक विकास कार्यक्रमों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाओं का पता लगा सकेगी और नई संस्थाएं स्थापित कर सकेगी;

(ड) अध्यापक शिक्षा के वाणिज्यीकरण की रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकेगी; और

(ह) ऐसे अन्य कृत्य कर सकेगी जो केन्द्र सरकार द्वारा उसे सीमें जाए।

13. (1) परिषद् इस बात को अधिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि वया संस्थाएं इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कृत्य कर रही हैं निरीक्षण। किसी ऐसी संस्था का ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निर्देश दे, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, निरीक्षण करा सकेगी।

(2) परिषद्, संस्था को वह तारीख संयुक्त करेगी जिसको उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण किया जाना है और संस्था निरीक्षण से ऐसी रीति से सहयुक्त किए जाने की हकदार होगी जो विहित की जाए।

(3) परिषद्, संस्था को ऐसे किसी निरीक्षण के परिणामों के संबंध में अपने विचार संतुष्टि करेगी और उस संस्था की राय अधिनिश्चित करने के पश्चात् उस संस्था को ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप की जाने वाली कार्रवाई की तिकारिश करेगी।

(4) इस धारा के अधीन संस्था को दी जाने वाली सभी संसूचनाएं उसके कार्यपालक प्राधिकारी को दी जाएंगी और संस्था का कार्यपालक प्राधिकारी परिषद् को उस कार्रवाई की, यदि कोई हो, लिपोर्ट देगा जिसे किसी ऐसी रिकारिश को, जो उपधारा (13) में निर्दिष्ट है, क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए, किए जाने की प्रस्थापना की गई है।

प्रध्याय 4

अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की मान्यता

अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रस्थापित करने वाली संस्थाओं की मान्यता ।

14. (1) नियत दिन को या उसके पश्चात् अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रस्थापित करने वाली या प्रस्थापित करने का आशय रखने वाली प्रत्येक संस्था, इस अधिनियम के अधीन मान्यता दी जाने के लिए संबद्ध प्रादेशिक समिति को, ऐसे प्रृष्ठ में और ऐसी रीति से, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, आवेदन करेगी ।

परन्तु नियत दिन के ठीक पूर्व अध्यापक शिक्षा में 'पाठ्यक्रम' या 'प्रशिक्षण' प्रस्थापित करने वाली कोई संस्था छह मास की अवधि के लिए और यदि उसने उक्त अवधि के भीतर मान्यता के लिए आवेदन किया है तो प्रादेशिक समिति द्वारा आवेदन के नियमों द्वारा आवेदन के लिए संबद्ध द्वारा अवधारित की हकदार होगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ संदर्भ की जाने वाली कीमत वह होगी जो विहित दी जाए ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी संस्था से प्रादेशिक समिति द्वारा आवेदन की प्राप्ति पर और संबंधित संस्था से ऐसी अन्य विशिष्टियाँ, जो आवश्यक समझी जाएं, प्राप्त होने के पश्चात् वह—

(क) यदि उसका यह समाधान ही जाता है कि ऐसी संस्था के पास पर्याप्त वित्तीय साधन, स्थान रुचिया, पुस्तकालय, अहित कर्मचारि-वृन्द, प्रयोगशाला है और वह ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती है जो अध्यापक शिक्षा में किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए संस्था के उचित कार्यकरण के लिए अपेक्षित हैं और जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, तो ऐसी संस्था को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, मान्यता देने वाला आदेश पारित करेगी ; या

(ख) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी संस्था, उपचंड (क) में अधिकथित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है तो, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसी संस्था को मान्यता नामजूर करने वाला आदेश पारित करेगी ।

परन्तु उपचंड (ख) के अधीन कोई आदेश पारित करने के पूर्व, प्रादेशिक समिति, निर्दित अस्थावेदन करने के लिए संबंधित संस्था को उचित अवसर प्रदान करेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन अध्यापक शिक्षा में किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए किसी संस्था को मान्यता नामजूर करने वाला प्रत्येक आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और सम्बित कार्यवाई के लिए ऐसी संस्था को और संबंधित परीक्षा निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, या राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को लिखित रूप में सम्मुचित किया जाएगा ।

(5) ऐसी प्रत्येक संस्था, जिसकी वावेदन मान्यता नामजूर कर दी गई है, उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन पारित मान्यता नामजूर करने वाले आदेश की प्राप्ति की तारीख से ठीक आगामी शक्षणिक सत्र को समाप्ति से अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण बंद कर देगी ।

(6) प्रत्येक परीक्षा निकाय, उपधारा (4) के अधीन आदेश की प्राप्ति पर—

(क) जहाँ मान्यता नामजूर कर दी गई है वहाँ संस्था को संबद्ध किया जाना नामजूर करेगी ; या

(ख) जहाँ मान्यता नामजूर कर दी गई है वहाँ संस्था को संबद्ध किया जाना रद्द कर देगी ।

15. (1) जहाँ कोई मान्यताप्राप्त संस्था अध्यापक शिक्षा में कोई नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करने का आशय रखती है, वहाँ उसकी अनुज्ञा के लिए संबंधित प्रादेशिक समिति को ऐसे प्रृष्ठ में और ऐसी रीति से, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, आवेदन कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ सदत की जाने वाली कीस वह होगी जो विहित की जाए।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी संस्था से आवेदन की प्राप्ति पर और मान्यताप्राप्त संस्था से ऐसी अन्य विशिष्टियाँ, जो आवश्यक समझी जाएं, प्राप्त होने के पश्चात् प्रादेशिक समिति,—

(क) यदि उसका, यह समाधान हो जाता है कि ऐसी मान्यताप्राप्त संस्था के पास पर्याप्त वित्तीय साधन, स्थान सुविधा, पुस्तकालय, अहित कर्मचारिवृन्द, प्रयोगशाला है और वह ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती है जो अध्यापक शिक्षा में ऐसे नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के समुचित संचालन के लिए अपेक्षित है, और जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं, तो ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं, अनुज्ञा मंजूर करने वाला आदेश पारित करेगी; या

(ख) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी संस्था, उपविंश (क) में अधिकृत अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है, तो ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी संस्था को अनुज्ञा नामंजूर करने वाला आदेश पारित करेगी :

परन्तु उपविंश (ख) के अधीन अनुज्ञा नामंजूर करने वाला आदेश पारित करने के पूर्व, प्रादेशिक समिति, लिखित अभ्यावेदन करने के लिए संबंधित संस्था यो उचित अवसर प्रदान करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन अध्यापक शिक्षा में किसी नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए किसी मान्यताप्राप्त संस्था को अनुज्ञा मंजूर करने या नामंजूर करने वाला प्रत्येक आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और समुचित कारबाई के लिए ऐसी मान्यताप्राप्त संस्था को और संबद्ध परीक्षा निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में संसूचित किया जाएगा।

16. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई परीक्षा निकाय, नियत दिन को या उसके पश्चात् तब तक,—

(क) किसी संस्था को अनंतिम या अन्यथा, सहबद्ध किया जाना मंजूर नहीं करेगा; या

(ख) किसी मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा संचालित किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए, अनंतिम या अन्यथा, परीक्षा आयोजित नहीं करेगा,

जब तक कि संबंधित संस्था ने धारा 14 के अधीन संबंधित प्रादेशिक समिति से मान्यता या धारा 15 के अधीन किसी पाठ्यक्रम या शिक्षण के लिए अनुज्ञा न प्राप्त कर ली हो।

17. (1) जहाँ प्रादेशिक समिति का, स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर यह समाधान हो जाता है कि किसी मान्यताप्राप्त संस्था ने इस अधिनियम के किसी उपविंश का अध्यवा इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या नियाले गए आदेशों का या किसी ऐसी शर्त का, जिसके अधीन रहते हुए धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन मान्यता दी गई थी या धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा मंजूर की गई थी, उल्लंघन किया है, वहाँ वह, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी मान्यताप्राप्त संस्था की मान्यता वापस ले सकेगी।

मान्यताप्राप्त
संस्था द्वारा नए
पाठ्यक्रम या
प्रशिक्षण की
अनुज्ञा।

परिषद् द्वारा
मान्यता या अनुज्ञा
के पश्चात् सह-
बद्ध के निकाय
द्वारा सहबद्ध किया
जाना मंजूर
करना।

अधिनियम के
उपविंशों का
उल्लंघन और
उसके परिणाम।

परन्तु किसी मान्यताप्राप्त संस्था के विषद्ध कोई ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्तावित आदेश के विषद्ध ऐसी मान्यताप्राप्त संस्था को अभ्यावेदन करने का उचित अवसर न दें दिया गया हो :

परन्तु यह और कि प्रादेशिक समिति द्वारा पारित मान्यता वापस लेने वाला या इकार करने वाला आदेश, ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से ठीक आगामी शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से ही प्रवृत्त होगा।

(2) प्रादेशिक समिति द्वारा उपधारा (1) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति,—

(क) संबंधित मान्यताप्राप्त संस्था को भेजी जाएगी और उसके साथ ही उसकी एक प्रति सहबद्धता रह करने के लिए उस विश्वविद्यालय या परीक्षा निकाय को भेजी जाएगी जिससे ऐसी संस्था सहबद्ध की गई थी; और

(ख) वह आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी मान्यताप्राप्त संस्था की मान्यता एक बार वापस ले ली जाती है तो ऐसी संस्था, अध्यापक शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को बन्द कर देगी और संबंधित विश्वविद्यालय या परीक्षा निकाय उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश के अनुसार संस्था की सहबद्धता रह करता है तब आदेश की संसूचना की तारीख के ठीक आगामी शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से रद्द कर देगा।

(4) यदि कोई संस्था उपधारा (1) के अधीन मान्यता वापस लेने वाले आदेश के प्रवृत्त होने के पश्चात् अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रस्थापित करती है तो, या जहाँ अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रस्थापित करने वाली कोई संस्था नियत दिन के ठीक पूर्व अधिनियम के अधीन मान्यता या अनुज्ञा प्राप्त करने में असफल हो जाती है या उपेक्षा वरती हैं वहाँ, ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के अनुसरण में या ऐसी संस्था में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण करने के पश्चात् प्राप्त अध्यापक शिक्षा में अहता को केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय के अधीन या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी विद्यालय, महाविद्यालय या अन्य शिक्षा निकाय में नियोजित के प्रयोजनों के लिए, विधिमान्य मरहता नहीं मानी जाएगी।

18. (1) अधिनियम की धारा 14 या धारा 15 या धारा 17 के अधीन निकाले गए किसी आदेश से व्यवधित कोई व्यक्ति, ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, परिषद् को अपील कर सकेगा।

(2) अपील उस दशा में प्रहण नहीं की जाएगी यदि वह उसके लिए विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् की जाती है;

परन्तु विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील उस दशा में प्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी, परिषद् का यह समाधान कर देता है कि उसके पास विहित अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था।

(3) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक अपील ऐसे प्रक्रम में की जाएगी और उसके साथ उस आदेश की प्रति जिसके विषद्ध अपील की गई है और ऐसी कीस होगी, जो विहित की जाए।

(4) अपील को निपटाने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए।

परन्तु अपील को नामंजूर करने से पहले अपीलार्थी को अपना मामला प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाएगा।

(5) परिषद् उस आदेश की, जिसके विषद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगा या उसको उलंग सकेगा।

प्रधाय ५
परिषद् के निकाय

19. (1) परिषद्, कार्यकारिणी समिति के नाम से शात् एक समिति, कार्यकारिणी विनियमों का निर्वहन के लिए गठन करेगी जो उसे परिषद् द्वारा सौंपे जाए या समिति।

(2) कार्यकारिणी समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर (बनेगी, प्रथमः—

(क) अध्यक्ष ; (ख) उपाध्यक्ष ; (ग) सदस्य-सचिव ;

(घ) उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष विनियमों द्वारा नियमित बनाये गए विनियमों के लिए विनियमों का निर्वहन के लिए गठन करेगी जो उसे परिषद् द्वारा सौंपे जाए या समिति।

(घ) सदस्य-सचिव ;

(च) भारत सरकार के शिक्षा से संबंधित विभाग का सचिव, परेन ;

(ड) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, परेन ;

(ज) निदेशक, राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, परेन ;

(क) भारत सरकार के शिक्षा से संबंधित विभाग में वित्त सलाहकार, परेन ;

(ज) अध्यापक शिक्षा में चार विशेषज्ञ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिवेशित किए जाएंगे ;

(झ) चार राज्य प्रतिनिधि, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति से नामनिवेशित किए जाएंगे, जो विहित की जाए ;

(झ) प्रावेशिक समितियों के अध्यक्ष ।

(3) परिषद् के अध्यक्ष और सदस्य-सचिव कार्यकारिणी समिति के क्रमशः अध्यक्ष और सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

(4) परिषद् का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उसका उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोइसी अन्य सदस्य, अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(5) कार्यकारिणी समिति के अधिवेशनों में कारबाह के संबंधान के लिए आवश्यक गणपूर्ति वह होगी, जो विनियमोंद्वारा अधिकायित की जाए।

(6) कार्यकारिणी समिति, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विनियमों द्वारा अनुपस्थिति किए जाएं, दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों को, "जिनकी इस हायता और सत्ताह की वह कार्यकारिणी समिति को सौंपे गए कृत्यों में से किसी भी को कार्यान्वित करने में वांछा करे, सहयोगित कर सकेंगी।

परन्तु विसी प्रयोजन के लिए कार्यकारिणी समिति द्वाय सहयोगित व्यक्तियों को, उस प्रयोजन से सुसंगत चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उन्हें कार्यकारिणी समिति के किसी अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वे किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होंगे।

(७) परिषद्, यदि आवश्यक समझती है तो, ऐसी ग्रन्थ समितियों की ऐसे विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, जो वह ठीक समझे, स्थापित कर सकेगी।

प्रादेशिक समितियां 20. (१) परिषद्, राजपत्र में ग्रधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित प्रादेशिक समितियां स्थापित करेगी, ग्रन्थतः—

(i) पूर्वी प्रादेशिक समिति ;

(ii) उत्तरी प्रादेशिक समिति, और

(iii) उत्तरी प्रादेशिक समिति ; प्रोर

(iv) दक्षिणी प्रादेशिक समिति।

(२) परिषद् यदि आवश्यक समझती है तो, केन्द्रीय सत्रकार के प्रत्योदन से, ऐसी ग्रन्थ प्रादेशिक समितियां जो वह ठीक समझे, स्थापित कर सकेगी।

(३) प्रादेशिक समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, ग्रन्थतः—

(क) परिषद् द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक सदस्य ;

(ख) प्रदेश के प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र से एक-एक प्रतिनिधि, जिनका नामनिर्देशित संबंधित राज्यक्षेत्रों (भौतिक संबंधित राज्यक्षेत्रों) द्वारा किया जाएगा ;

(ग) उत्तरी संघ्या में ऐसे व्यक्ति, जिनके प्राप्त अध्यापक (विद्या से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान और अनुभव है, जिनने विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं)।

(४) परिषद्, संबंधित प्रादेशिक समिति के सदस्यों में से एक का, उसका समिति के ग्रन्थकार के रूप में कृत्य करने के लिए, नामनिर्देशित करेगा।

(५) घंड (ग) में निर्दिष्ट सदस्यों की विनियमों द्वारा अवधारित भौतिक संघ्यों में से एक सदस्यों को संदेय भत्ते वे होंगे, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं।

(६) प्रादेशिक समिति, धारा 14, धारा 15 और धारा 17 के अधीन अपने कूल्यों के स्वतिरिक्त, ऐसे ग्रन्थ कूल्यों का पालन करेगी, जो परिषद् (द्वारा) उसे सौंपे जाएं या जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं।

(७) किसी प्रादेशिक समिति के कृत्य, उसके द्वारा प्रत्यारोपण की जाने वाली प्रक्रिया, उसकी प्रादेशिक ग्रन्थिकारिता और उसके सदस्यों में प्राक्रियक विविधियों को भरने की दीति वह होगी, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए।

21. (१) यदि परिषद् की यह राय है कि प्रादेशिक समिति इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर ग्रधिरोपित करनेवाले का पालन करने में असमर्थ है या उसने उनका पालन करने में वास्तवार व्यतिक्रम किया है या अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग किया है या वह इस अधिनियम में उपबंधों को कठोरीनिवार करने के लिए परिषद् द्वारा जारी किए गए किसी निवेश का पालन करने में जानबूझकर अवधारित पर्याप्त हेतु के बिना असफल हो गई है तो परिषद्, राजपत्र में प्रधिसूचना द्वारा, प्रादेशिक समिति को तत्काल समाप्त कर सकेगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन ग्रधिसूचना के प्रकाशन पर,—

(क) प्रादेशिक समिति के सभी सदस्य, इस वाला के होठे हुए भी कि उनकी पदाधिक सम्पत्ति नहीं हुई है, समर्पित की तारीख से ही ऐसे सदस्य के रूप में अपने अंदर रिक्त कर देंगे, और

(ख) वे सभी शक्तियाँ और कर्तव्य, जिनका प्रयोग या पालन इस प्रधिनियम के उपर्युक्तों द्वारा या उसके भौति एवं प्रादेशिक समिति द्वारा या उसकी भौति से किया जा सकता है, उस अवधि के द्वारा जब उसके सदस्यों की पदावधि समाप्त कर दी गई है, उनका प्रयोग या पालन ऐसे व्यक्ति यां अस्तित्वों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें परिषद् निर्दिष्ट करे।

(3) परिषद्, उपधारा (2) के भौति अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय, घारा 20 की उपधारा (3) में उपर्युक्त रीति से प्रादेशिक समिति का पुर्णगठन कर सकेगी:

परन्तु परिषद्, पुर्णगठित प्रादेशिक समिति के सदस्य के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए सक्षम होगी जो ऐसी प्रादेशिक समिति का सदस्य था जिसे समर्प्त कर दिया गया था।

अध्याय 6

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

22. केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संलग्न द्वारा, विधि द्वारा, सम्पूर्ण विनियोग परिषद् को संदाय किए जाने के पश्चात्, परिषद् को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उत्तरी धैनराशियों का संदाय कर सकेगी जिन्होंने इस प्रधिनियम के भौति परिषद् के कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक समझी जाए।

23. (1) परिषद् की भौति हीगी और वे सभी धैनराशियों, जो परिषद् की निधि । समय-समय पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उत्तरी संदत की जाए तथा परिषद् वी सभी प्राप्तियाँ, जिनके अस्तर्गत ऐसी धैनराशि भी हैं जिसे भारत में या प्रिवेश में कोई अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति परिषद् की संदत करे, उस निधि में जमा की जाएंगी और परिषद् द्वारा सभी संदाय उसमें से किए जाएंगे।

(2) निधि की सभी रकमें, ऐसे बैंकों में जमा की जाएंगी या ऐसी रीति से विनिहित की जाएगी, जो परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाए।

(3). परिषद्, इस प्रधिनियम के भौति अस्ते कृत्यों का पालन करने के लिए उत्तरी धैनराशि व्यय कर सकेगी जिन्होंने वह ठीक समझे, भौति एसी धैनराशि परिषद् की निधि में से उद्देश्य व्यय मानी जाएगी।

24. परिषद्, प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रत्येक वर्ष की वावत प्राक्कलित प्राप्तियाँ और व्यय अस्तित्व करते हुए एक बजट तैयार करेगी और उसकी प्रतिवादों केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी।

25. परिषद्, प्रत्येक वर्ष में एक बार ऐसे प्रत्येक वर्ष में भौति एसी समय पर, जो विहित किया जाए, पूँछवर्ती वर्ष के दौरान अस्ते कियाकलायों की सभी भौति द्वारा विवरण देते हुए वापिक त्रिपोर्ट तैयार करेगी और उसकी प्रतिवादों केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी तथा वह सरकार उन्हें संज्ञद के दोनों सदतों के द्वारा खबाएगी।

26. (1) परिषद्, ऐसी लेखा वहियाँ ऐसे प्रत्येक वर्ष में भौति एसी रीति से लेखा द्वारा एसी, जो केन्द्रीय सरकार, भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीकरक के प्रामाण से विहित करे।

(2) परिषद्, अपने वापिक लेखाओं को बन्द करने के पश्चात्, यथाशोध, विवरण तथा लेखा विवरण तंत्रात् करेगी और उत्तरी धैनराशि के नियन्त्रक-महालेखापरीकरक को ऐसी तारीख तक भेजेगी, जो केन्द्रीय सरकार, नियन्त्रक-महालेखा-परीकरक के प्रामाण से अवधारित करे।

(३) परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे समय पर और ऐसी रौति से, जो वह ठीक समझे, की जाएगी।

(४) भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस नियमित नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रभागित परिषद् के लेखे और उसके सबध में संपरीक्षा रिपोर्ट प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी और वह सरकार उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष खबाएगी।

अध्याय ५

शक्तियों और
कृत्यों का प्रत्या-
योजन।

सदभावपूर्वक की
गई कार्रवाई के
लिए संरक्षण।

केन्द्रीय सरकार
द्वारा निदेश।

परिषद् को अतिव
विठ्ठि करने की
शक्ति।

उपचार के लिए

प्रकाशन

प्रतिष्ठि

करने की

समिति के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के, यदि गई हो, जो आदेश में विनियिम की जाए, अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को, (सिवाय घारा ३२ के अधीन वित्तियम बनाने की शक्ति के) जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

२८. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कार्रवाई नियुक्त किन्हीं समितियों या परिषद् या ऐसी समितियों के किसी सदस्य या केन्द्रीय सरकार या परिषद् के किसी अधिकारी या कर्मचारी या उस सरकार या परिषद् द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विश्वास की होगी।

२९. (१) परिषद्, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों के निवेशन में, नीति संबंधी प्रश्नों पर ऐसे निवेशों से आबद्ध होगी जो केन्द्रीय सरकार, उसे समय-समय पर, लिखित रूप में दें।

(२) इस बाबत कि कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, केन्द्रीय सरकार का विनियंत्रण होगा।

३०. (१) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि परिषद् इस अधिनियम विठ्ठि करने की है, या उसने उनका पालन करने से बार-बार व्यक्तिकरण किया है या अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुष्ययोग किया है, या वह केन्द्रीय सरकार द्वारा घारा २९ के अधीन दिए गए किसी निदेश का अनपालन करने में जनवृक्षकर अथवा परिवर्त हेतु के वित्ती अस्पतल हो गई है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परिषद् को ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनियिम की जाए, अतिष्ठित कर सकेगी;

परन्तु केन्द्रीय सरकार, इस उपधारा के अधीन अधिसूचना निकालने के लिए परिषद् को प्रहृष्ट हेतुक विठ्ठि करने के लिए उचित घबरार देगी कि उसे उपर्योग अतिष्ठित कर दिया जाए और परिषद् के सम्बीकरण और आदेशों पर, यदि कोई है विचार करेगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन परिषद् को अतिष्ठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर,

(क) परिषद् के सभी सदस्य इस बाबत के होते हुए भी कि उनकी परिवर्तविधि समाप्त नहीं हुई है, अतिष्ठित किए जाने की तारीख से ही ऐसे सदस्य के रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे;

(ख) वे सभी शक्तियों और कर्तव्यों जिनका प्रयोग या पालन इस अधिनियम के उपर्योग द्वारा या उनके अधीन परिषद् द्वारा या उसकी ओर ऐसे किया जा सकता है, अतिष्ठित काल के दौरान, उनका प्रयोग या पालन करे;

(ग) परिषद् में निहित सब संघर्षिति काल के दोहरीने केन्द्रीय सरकार में निहित रहेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनियोगिति अतिथिति काल की समाप्ति पर्याप्त है।

(क) अतिथिति काल को ऐसी और अवधि तक बढ़ा सकेगी जो वह आवश्यक समझे; या

(ख) धारा 3 में उपवंधित रीति से परिषद् को पुनर्गठन कर सकेगी।

31. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपवंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वान्मासी शक्तियों की व्यंपकता पर प्रतिकल प्रभाव द्वाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपवंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) वह रीति, जिससे केन्द्रीय सरकार को धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ड) के उपबोध (V) के अधीन, परिषद् के लिए विशेष नियुक्त करना है;

(ख) वह रीति, जिससे केन्द्रीय सरकार धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन राज्यों और सब राज्यवेत्र प्रशासनों से परिषद् में सदस्यों की नियुक्ति करेगी;

(ग) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन अव्यक्त, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव की अवधि उपधारा (4), के अधीन सदस्यों की सेवा की शर्तें;

(घ) धारा 4 की उपधारा (7) के अधीन अव्यक्त की शक्तियों की अवधि और कार्यव्य;

(ङ) वह रीति जिससे और वे व्यक्ति जिनके द्वारा संस्था का निरीक्षण किया जाना है, और वह रीति, जिससे संस्था की धारा 13 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन ऐसे नियमण्ड में सहयोजित किया जाना है;

(च) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन मान्यता प्राप्त करने के लिए और धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन अन्तीं प्राप्त करने के लिए आवेदन पर संदेश फीस;

(छ) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अपील के लिए परिषद् सीमा की अवधि, उसे धारा की उपधारा (3) के अधीन वह प्ररूप जिसमें अपील की जाएगी और उसके लिए संदेश फीस और उस धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन अपील को निपटाने के लिए प्रक्रिया;

(ज) वह रीति, जिससे केन्द्रीय सरकार द्वारा, धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन कार्यकारिणी समिति में राज्य प्रतिनिधियों को नामनियोगित किया जाना है;

(झ) वह प्ररूप, जिसमें और वह समय, जिसके भीतर धारा 24 के अधीन बजट और धारा 25 के अधीन परिषद् की वापिक रिपोर्ट भीतरीं और की जानी है;

(ञ) वह रीति, जिससे और वह प्ररूप, जिसमें परिषद् का नियमण्ड धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन बनाए रखा जाना है;

(ट) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाता है या जिसे विहित किया जाए।

32. (1) परिषद् इस अधिनियम के उपवंधों को साधारणतया कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे विनियम बना सकेगी जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से अतंगत नहीं।

विनियम बनाने की शक्ति।

(2). विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषयों के लिए उपर्युक्त किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् के अधिवेशनों के समय और स्थान को और उसमें कार्य संचालन के लिए प्रक्रिया को विनियमित करना ;

(ख) वह रीति विस्तेर प्रौढ़ के प्रयोजन प्रियते लिए व्यक्तियों को धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा सहयोजित किया जा सकेगा ;

(ग) धारा 10 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन अमरण परिषद् के अधिकारियों और सत्य कर्मजातियों की नियुक्ति, सेवा के निवधन और शत ;

(घ) निम्नलिखित के संबंध में भारत, मार्गदर्शन सिद्धांत, और स्तरमान,—

(i) धारा 12 के खंड (ए) के अधीन अध्यापक के रूप में नियोजित किए जाने वाले वित्त के लिए अनुनतम अहंताएँ,

(ii) धारा 12 के खंड (ए) के अधीन अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण का विनियोग प्रवर्त्तन,

(iii) धारा 12 के खंड (च) के अधीन मान्यताप्राप्त संस्थाओं में नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण ग्रारंभ करना,

(iv) धारा 12 के खंड (छ) में निर्दिष्ट अध्यापक शिक्षा अहंताओं की परीक्षाओं की वावत स्तरमान,

(v) धारा 12 के खंड (ज) के अधीन संस्थाओं द्वारा प्रभार्य अध्यापन की ओर अन्य फोटो,

(vi) अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए स्कीमें और धारा 12 के खंड (ट) के अधीन अध्यापक विकास कार्यक्रम की प्रस्थापना के लिए संस्थाओं का प्रयत्न लगाना ;

(इ) वह प्ररूप, जिसमें और वह शीति जिससे धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है ;

(ब) धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन संस्था के समुचित कृत्यकरण के लिए अपेक्षित शत सौर मान्यता मंजूर करने के लिए शर्तें ;

(छ) वह प्ररूप, जिसमें और वह शीति जिससे धारा 15 की उपधारा

(1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन किया जाना है ;

(ज) धारा 15 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के उचित रूप में संचालन के लिए अपेक्षित शर्तें और अनुशासन के लिए शर्तें ;

(झ) वे कृत्य, जो धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन कार्यकारिणी समिति को परिषद् द्वारा सोचे जा सकेंगे ;

(ञ) धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन कार्यकारिणी समिति के अधिवेशनों में कारबाह के संब्यवहार के लिए मावस्यक प्रक्रिया और भण्डपूर्ति ;

(ट) यह रीति जिससे और वे प्रयोजन जिनके लिए कार्यकारिणी समिति द्वारा 19 की उपधारा (६) के अधीन व्यक्तियों को सहयोगित कर सकेगी;

(ठ) धारा 20 की उपधारा (३) के खंड (ग) के अधीन व्यक्तियों की संख्या;

(ड) धारा 20 की उपधारा (५) के अधीन सदस्यों की पदावधि और उनको संदेय भत्ते;

(३) धारा 20 की उपधारा (६) के अधीन प्रादेशिक समिति द्वारा पालन किए जाने वाले अतिरिक्त कृत्य;

(४) धारा 20 की उपधारा (७) के अधीन प्रादेशिक समिति के कृत्य, उसके द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता और उसके सदस्यों में आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति;

(त) कोई अन्य विषय, जिसके संबंध में विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जाए।

33. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सब में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सब में श्रेवा दो या अधिक प्रानुक्रमिक सदनों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सब के या पूर्वोक्त प्रानुक्रमिक सदनों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए लट्टू द्वारा तत्पश्चात् यह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उस अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत ही जाए कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

34. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होंँ :

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो घंटे की समाप्ति के पश्चात् नहीं निकाला जाएगा।

(२) इस धारा के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश, निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।